रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 378] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 1980/श्रावण 23, 1902
No. 378] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 1980/SRAVANA 23, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1980

का०आ० 622 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (1) और (6) के साथ पठित उसकी धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, सर्वश्री हरि विष्णु कामथ, अमृत नहाटा और सी० एम० स्टीफन के स्थान पर सर्वश्री चन्दूलाल चन्द्राकर, जार्ज फर्नान्डिज और अजमोहन महन्ती को सदस्यों के रूप में अधिसूचित करती है और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 116(अ), तारीख 28 फरवरी, 1979 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 24, 25 और 26 के सामने "हरि विष्णु कामथ, अमृत नहाटा, सी० एम० स्टीफन" प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"श्री चन्दूलाल चन्द्राकर
श्री जार्ज फर्नान्डिज
श्री अजमोहन महन्ती"।

[फाइल संख्या 4/13/78—प्रेस]
अमल कुमार दत्त, सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 1980

S.O. 622(E).—In pursuance of sub-section (5) of section 5 read with sub-sections (1) and (6) of section 6 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby notifies Sarvashri Chandulal Chandrakar, George Fernandes and Brajmohan Mohanty as members in place of Sarvashri Hari Vishnu Kamath, Amrit Nahata and C. M. Stephen and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 116(E), dated the 28th February, 1979, namely :—

In the said Notification against serial Numbers 24, 25 and 26 for the entries "Hari Vishnu Kamath, Amrit Nahata, C. M. Stephen" the following entries shall respectively be substituted, namely :—

"Shri Chandulal Chandrakar
Shri George Fernandes
Shri Brajamohan Mohanty"

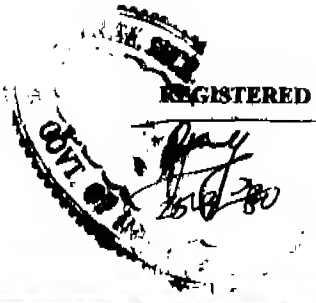
[F. No. 4/13/78-Press]

A. K. DUTT, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16, 1980/श्रावण 25, 1902
No. 379] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16, 1980/SRAVANA 25, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1980

का. आ. 623(अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 115 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (6) और धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. वी. एन. राव, प्रशासक अपनी यह राय होने पर कि इसमें विनिर्दिष्ट मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित है, इसके द्वारा—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं और उसके समनुषंगी बैंकों को राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण पत्र, 1980 के (जिसे इसके पश्चात प्राप्तिकर्ता कहा गया है) अन्तिम धारक को मानक स्वर्ण शलाकाओं और डिस्कों के रूप में प्राथमिक स्वर्ण का परिदान, नियंत्रण और अन्यथा व्ययन करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ; और

(2) ऐसे प्राप्तिकर्ता को, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं और उसके समनुषंगी बैंकों द्वारा, यथास्थिति, इस प्रकार परिदत्त, अन्तरित या अन्यथा व्ययनित स्वर्ण अर्जित, प्रतिगृहीत या अन्यथा प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :

परन्तु प्राप्तिकर्ता, यथास्थिति, अर्जन, प्रतिग्रहण या प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अनुज्ञप्त व्यौहारी या प्रमाणित स्वर्णकार को उक्त स्वर्ण का विक्रय करेगा अथवा उक्त स्वर्ण को किसी अनुज्ञप्त व्यौहारी या प्रमाणित स्वर्णकार की मार्फत आभूषणों में संपरिवर्तित कराएगा :

परन्तु यह और कि प्राप्तिकर्ता ऐसे विक्रय या संपरिवर्तन की तारीख से तीन मास के भीतर निकटतम स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी को अनुज्ञप्त व्यौहारी या प्रमाणित स्वर्णकार से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि, यथास्थिति, ऐसे स्वर्ण का उसको विक्रय किया गया है या ऐसा स्वर्ण उसके द्वारा स्वर्ण आभूषणों में संपरिवर्तित किया गया है ।

[सं. 5/80 फा. सं. 131/6/80-स्व.नि.-2(भाग)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
ORDER

New Delhi, the 16th August, 1980

S.O. 623(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 8 and section 9, read with sub-section (1) of section 115 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), I, M. V. N. Rao, Administrator, being of the opinion that special circumstances of the class of cases specified herein so require, hereby authorise—

(i) the offices of the Reserve Bank of India, the branches of the State Bank of India and its subsidiary banks, to deliver, transfer or otherwise dispose of primary